

विज्ञप्ति

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखण्ड द्वारा निम्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु पात्र/अर्ह छात्र-छात्राओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं सम्मिलित छात्रवृत्ति चयन परीक्षा दिनांक 05 नवम्बर, 2017 (रविवार) को प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में एक केन्द्र (कुल 95 परीक्षा केन्द्रों) पर आयोजित की जाएगी।

1. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (NTSS)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (NTSE) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कक्षा 10 में अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। योजना के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी को विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में पीएच.डी. स्तर तक के पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय डिग्री स्तर तक आयुर्विज्ञान और अभियांत्रिकी की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। परिषद द्वारा छात्रवृत्ति के लिए चयन हेतु दो स्तरों पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रथम स्तर का चयन राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य हेतु छात्रों का कोटा 44 है। प्रथम स्तर की चयन परीक्षा के आधार पर चयनित छात्रों द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वितीय स्तर की परीक्षा में प्रतिभाग किया जाता है।

पात्रता - उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय, सवित्त एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की कक्षा 10 में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रा जिन्होंने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 65% (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से अक्षम के लिए 55%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, वे एन.टी.एस. (प्रथम चरण) परीक्षा 2018 में प्रतिभाग के लिए अर्ह होंगे। अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

2. राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए निर्धारित 1048 छात्रवृत्तियों हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अन्तर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनोपरान्त कक्षा 9 से कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रता - उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय तथा सवित्त मान्यता प्राप्त (Aided) विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 55% (आरक्षित वर्ग के लिए 50%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय रु0 1.50 लाख से अधिक न हो, वे NMMSS परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे। केन्द्रीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त (Unaided) विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु अर्ह नहीं हैं।

3. डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति तथा राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (Dr.SNNS & SMSS)

राज्य सरकार द्वारा डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजना (Dr.SNNS) के अन्तर्गत 11 (6 गढ़वाल मंडल एवं 5 कुमायूँ मंडल) एवं राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना (श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति) के अन्तर्गत 475 (प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 5) छात्रवृत्तियों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अन्तर्गत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनोपरान्त कक्षा 9 से कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रता - उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय तथा सवित्त मान्यता प्राप्त (Aided) विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 50% (आरक्षित वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो वे Dr.SNNS & SMSS परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे। केन्द्रीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त (Unaided) विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र इस छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु अर्ह नहीं हैं। माता-पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

• **आवेदन पत्रों की प्राप्ति**- उक्त छात्रवृत्ति परीक्षाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दिनांक 21 अगस्त 2017 से नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in एवं एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in से भी उपरोक्त तिथि के पश्चात डाउनलोड किए जा सकते हैं। NTSS के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप अलग है। NMMSS, Dr.SNNS एवं SMSS के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप समान है।

• **आवेदन पत्र कहीं जमा करें**- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों (यथा जाति, विकलांगता आदि) सहित डाक या व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी (Block Education Officer) के कार्यालय में दिनांक 10 सितम्बर, 2017 तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की प्राप्ति में डाक द्वारा विलम्ब होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी व परीक्षा संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। भरे हुए आवेदन पत्र NCERT नई दिल्ली अथवा SCERT उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में कदापि न भेजें, इन कार्यालयों में सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

• **आवेदन/परीक्षा शुल्क**- परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

अपर निदेशक

एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।